लय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

संख्या :–139/2021 दायर दिनांकः 07.09.2021

NO:- 2021/260

अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

धर्मराज पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति कलाल निवासी उचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
2. सतीश कुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति कलाल निवासी उचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय, बून्दी जिला बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 29.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करवर पटवार मण्डल करवर तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2425 रकबा 2.0549 है0 कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम करवर पटवार मण्डल करवर तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 2425 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम करवर के रास्ते से शमशान घाट से फटकर खसरा संख्या 2423 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खेतों के सहारे मेड पर से होता हुआ खाल के खसरा संख्या 2424 से पहुंचकर प्रार्थी के खसरा संख्या 2425 पर पहुँचता है। जिसे नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगण ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्ध करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम रास्ता का नहीं है। मौके पर उपस्थित प्रार्थी द्वारा बताया गया कि पूर्व में ग्राम करवर से आ रहे खाल के सहारे सिवायचक व खातेदारी भूमियों में से होकर आता जाता था लेकिन उक्त रास्ता खातेदारान द्वारा बन्द कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता काफी लम्बा व खर्चीला है। रिकॉर्ड व मौके अनुसार प्रार्थी को ग्राम करवर से आ रहे आरी के बालाजी से फटकर अपनी माता घीसीबाई की खातेदारी भूमि में से होते हुये खसरा संख्या 2426/1 में से दिये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः खसरा संख्या 2425 तक पहुँचने के लिए खसरा संख्या 2428 में से रकबा 421 फीट • 15 फीट = [illegible] फीट = रकबा 0.0586 है0 तथा खसरा संख्या 2426/1 में से रकबा 342 फीट • 15 फीट = [illegible] फीट = रकबा 0.0477 है0 अर्थात् कुल रकबा 0.1063 है0 भूमि दिया जाना उचित [illegible] रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल डोटेड लाइन से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:48:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी) 361

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट करवर में पेश हुई। उपस्थित की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता जाना उचित बताया है। ग्राम करवर पटवार मण्डल करवर तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2425 रकबा 2.0549 है0 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 2425 तक पहुँचने के लिए खसरा संख्या 2428 में से रकबा 421 फीट • 15 फीट = 6315 वर्गफीट = रकबा 0.0586 है0 तथा खसरा संख्या 2426/1 में से रकबा 342 फीट • 15 फीट = 5130 वर्गफीट = रकबा 0.0477 है0 अर्थात् कुल रकबा 0.1063 है0 , जिसे प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:48:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner